

मतदाता जागरूकता अभियान में सहयोग के लिये बनेंगे कैम्पस एंबेसडर

चर्चा में क्यों?

29 मई, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप सहि ने कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को नगरीय निकायों एवं त्रसितरीय पंचायतों के आम निर्वाचन, 2022 के लिये मतदाताओं को मतदान के प्रती जागरूक करने, मतदान की अपील तथा आयोग द्वारा किये गए नवाचारों की जानकारी देने के लिये 'मतदाता जागरूकता अभियान' प्रारंभ करने का निर्देश दिया।

प्रमुख बंदि

- उन्होंने अधिकारियों को 'मतदाता जागरूकता अभियान' के तहत मतदाताओं को प्रेरित/जागरूक करने के लिये स्थानीय महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों से कुछ वदियार्थियों को, जो कनिनेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, को कैम्पस एंबेसडर (**Campus Ambassador**) नियुक्त करने का निर्देश भी दिया।
- कैम्पस एंबेसडर का चयन ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनकी नषिपक्ष, स्वच्छ एवं गैर-राजनीतिक छवि को चहिनति कर महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों के प्राचार्य, उप-कुलपति द्वारा प्रदान की गई सूची के आधार पर किया जाएगा।
- ज़िला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर एन.सी.सी./एन.एस.एस. के सहयोग से भी नियुक्ति कर सकते हैं।
- कैम्पस एंबेसडर का चयन केवल एक शैक्षणिक स्तर के लिये किया जाएगा। सह-शिक्षा (**Co-Education**) महाविद्यालयों में 2 कैम्पस एंबेसडर (एक छात्र एवं एक छात्रा) का चयन किया जाएगा।
- कैम्पस एंबेसडर की संबद्धता किसी भी राजनीतिक दल या उनकी संलग्नता किसी राजनीतिक गतिविधि में नहीं होनी चाहिये। कैम्पस एंबेसडर के परिवार का संबंध किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक गतिविधि से नहीं होना चाहिये।
- कैम्पस एंबेसडर के वरिद्ध आचरण एवं व्यवहार संबंधी किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में संस्था प्रमुख तत्काल जाँच कर उपयुक्त कार्यवाही करेंगे। प्रत्येक कैम्पस एंबेसडर का पुलिस सत्यापन ज़िला प्रशासन द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।
- कैम्पस एंबेसडर मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया तथियों तथा आयोग द्वारा किये गए विभिन्न नवाचारों आदि की जानकारी देंगे। स्कॉउट-गाइड, राष्ट्रीय सेवा योजना (**NSS**), राष्ट्रीय कैडेट कोर (**NCC**) एवं अशासकीय संगठनों (**NGO**) के साथ समन्वय कर मतदाता जागरूकता में उनका सहयोग प्राप्त करेंगे।
- मतदाता जागरूकता अभियान (**SENSE**) की गतिविधियों के संचालन के लिये सक्रिय सदस्यों का एक दल बनाकर मतदाताओं को जागरूक करेंगे।
- ज़िला निर्वाचन अधिकारी कैम्पस एंबेसडर की नियुक्ति के पश्चात् उन्हें उनकी भूमिका, दायित्वों, उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों, गतिविधियों, लक्ष्यों, संभावित उपलब्धियों तथा कार्ययोजनाओं से अवगत कराएंगे तथा उन्हें संक्षिप्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। ज़िला निर्वाचन अधिकारी कैम्पस एंबेसडर को मतदाता जागरूकता अभियान कार्य के लिये यथायोग्य सामग्री, मार्गदर्शन एवं सहयोग देंगे।
- ज़िला निर्वाचन अधिकारी समय-समय पर संपन्न की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का आकलन करेंगे एवं प्रतविदन प्राप्त करेंगे। **SENSE** की गतिविधियों के लिये नियुक्त किये गए नोडल अधिकारी समय-समय पर प्रतविदन (फोटोग्राफ्स सहित) आयोग को भेजेंगे।
- ज़िला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कैम्पस एंबेसडर को चहिनति कर उनके नाम की अनुशंसा की जाएगी तथा राष्ट्रीय पर्य पर आयोजित समारोह में प्रशस्तित्पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।